

मारपीट मामले में वांछित 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसंतलाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.01.2026 को मुखबीर खास की सूचना के आधार पर मतलूपुर काशीराम आवास फोर लेन थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से मारपीट के अभियोग में फरार वांछित 05 नफर अभियुक्तगण 1. धर्मवीर बांसफोर उर्फ धर्मू पुत्र स्व0 लल्लन बासफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 2. वीरु पुत्र स्व0 लल्लन बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 3. सुभाष बांसफोर पुत्र स्व0 यमुना निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 4. मोहन बांसफोर पुत्र स्व0 शंकर बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिम टोला जनपद मऊ 5. सोहन बांसफोर पुत्र स्व0 शंकर बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना द0 टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – उल्लेखनीय है कि प्रेमनगर चकिया में दिनांक 12.12.2025 समय 08.00 बजे बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी जिसमें आरोपीगणों के द्वारा पीड़ित लालजी बासफोर व उसके पुत्र को लाठी डडो एवं ईट से लैस होकर गम्भीररूप से घायल कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 257/2025 धारा 3(5)/115(2)/118(2)/333/352 बी0एन0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था घटना के बाद से ही नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस द्वारा लगातार दबीश दी जा रही थी । आज मुखबीर खास की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर मतलूपुर काशीराम आवास फोर लेन से निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मवीर बांसफोर उर्फ धर्मू पुत्र स्व0 लल्लन बासफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष
2. वीरु पुत्र स्व0 लल्लन बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 33 वर्ष
3. सुभाष बांसफोर पुत्र स्व0 यमुना निवासी प्रेमनगर चकिया थाना द0 टोला जनपद मऊ उम्र करीब 50 वर्ष
4. मोहन बांसफोर पुत्र स्व0 शंकर बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिम टोला जनपद मऊ उम्र करीब 33 वर्ष
5. सोहन बांसफोर पुत्र स्व0 शंकर बांसफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना द0 टोला जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु.अ.सं. 257/2025 धारा 3(5)/115(2)/118(2)/333/352 बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
- उ0नि0 हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
- का0 राघवेन्द्र प्रताप, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
- का0 मुलायम यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

नशे के अंतर्राष्ट्रीय सौदागर 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 18.490 कि0ग्रा0 चरस (कीमत लगभग ₹ 9 करोड़) बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर अंकुश लगाने तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में लिस अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिये व्यापक अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मय पुलिस टीम व प्रभारी सर्विलांस/ स्वाट मय टीम तथा प्रभारी एसओजी मय टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन जनपद मऊ में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति (पुरुष एवं महिला), जो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहे हैं पुरुष के हाथ में एक बैग तथा महिला हाथ में प्रिन्टेड कलर का थैला है जिसमें मादक पदार्थ है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एक पुरुष व उसके साथ एक महिला को रामलीला मैदान के पास समय करीब 12.37 बजे SOG/ सर्विलांस/ थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके पास से कुल 16 पैकटों में 18.490 कि0ग्रा0 नाजायज्ञ चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 9 करोड़ बतायी गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका – अभियुक्तगण मादक पदार्थों की तस्करी के एक शातिर किस्म के अपराधी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों/ चरस की तस्करी करते हैं। सरल व सुगम तरीके से रेल/ सड़क मार्ग का उपयोग कर नेपाल के रास्ते से लायी गयी मादक पदार्थ को गोरखपुर होते हुए मुरादाबाद/ उत्तराखण्ड में बिक्री करने ले जा रहे थे। अभियुक्तगण ने पूछताछ में यह भी बताया कि वह पहले भी इसी तरह के अपराध में वर्ष 2017 में जेल जा चुका हूँ और ऐसे ही 2 राउंड ले जाकर बेच चुका हूँ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 06.01.2026

समय – 12.37 बजे

स्थान – रामलीला मैदान रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली नगर मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

- मु0अ0सं0 007/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- इमामी अली पुत्र स्व0 हसरत अली निरो शाहपुर का मजरा थाना भोजपुर, मुरादाबाद ३०प्र० उम्र ३३ वर्ष(बरामद १२.७४ किग्रा०)
- नाजमा पत्नी स्व0 जिआरूल निरो मोसीरहट थाना बादुरे जिला उत्तर चौबीस परगना पश्चिम बंगाल उम्र ३७ वर्ष (बरामद ५.७५ किग्रा०)

बरामदगी का विवरण –

- कुल वज्ञन १८.४९० किग्रा० नाजायज चरस अंतर्रष्ट्रीय कीमत लगभग ₹ ९ करोड़ रूपये

आपराधिक इतिहास –

- इमामी अली पुत्र स्व0 हसरत अली**
 - मु०अ०सं० ००७/२०२६ धारा ८/२१ NDPS ACT थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
 - मु०अ०सं० ६०३/२०१७ धारा १८/२० NDPS ACT थाना स्वार जनपद रामपुर ३०प्र०
 - मु०अ०सं० ६०४/२०१७ धारा २५ आयुध अधि० थाना स्वार जनपद रामपुर ३०प्र०
- नाजमा पत्नी स्व0 जिआरूल**
 - मु०अ०सं० ००७/२०२६ धारा ८/२१ NDPS ACT थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी बरामदगी पुलिस टीम का विवरण –

- प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह सर्विलांस/स्वाट टीम प्रभारी जनपद मऊ
- म०उ०नि० सपना थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- ह०का० राकेश यादव सर्विलांस टीम जनपद मऊ
- ह०का० अमित कुमार सिंह सर्विलांस टीम जनपद मऊ
- ह०का० पियूष कुमार सिंह स्वाट टीम जनपद मऊ
- का० अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- का० विजय यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- का० बृजेश कुमार सर्विलांस टीम जनपद मऊ
- का० वरुण कुमार सर्विलांस टीम जनपद मऊ
- का० अश्वनी गौड़ सर्विलांस टीम जनपद मऊ
- का० अविनाश धर दूबे एसओजी टीम जनपद मऊ
- का० ऋषभ द्विवेदी एसओजी टीम जनपद मऊ
- का० अनिरुद्ध सिंह एसओजी टीम जनपद मऊ
- का० अनुदेशदत्त एसओजी टीम जनपद मऊ
- ह०का० चालक कमलेश ठाकुर स्वाट टीम जनपद मऊ
- ह०का० बब्बन एसओजी टीम जनपद मऊ
- ह०का० चालक रितेश राय थाना कोतवाली नगर

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से ०१ अदद तंमचा व ०१ अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घासी श्री जितेन्द्र

सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर कारीसाथ मोड़ के पास से अभियुक्त आजाद कुरैशी पुत्र रहिम कुरैशी निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से एक देशी 12 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ जिसके पेदे पर KF 12 लिखा हुआ है। पकडे गये व्यक्ति से देशी तमंचा रखने का कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा और अपने गलती की माफी बार बार मांगने लगा। अभियुक्त के गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 004/2026 धारा 3/25 आयूध अधिनियम पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. आजाद कुरैशी पुत्र रहिम कुरैशी निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग

1. मु0अ0सं0 004/26 धारा 3/25 आयूध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी विवरण

1. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 रवि कुमार
3. हे0का0 अजय कुमार यादव
4. हे0का0 रमेश पाल
5. का0 अमित कुमार
6. का0 अनिल चौधरी
7. का0 अवनीश कुमार

एक शातिर अभियुक्त कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घासी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। विवरण इस प्रकार है उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह नदवासराय अंडरपास के पास आकर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन कि चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहव एक व्यक्ति नदवासराय की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा है जिसके पास अवैध तमंचा है इस सूचना पर हमराही कर्मचारीगण के अवगत कराते हुए नदवासराय की तरफ से तेजी से आ रहे मोटरसाइकिल को टार्च की रोशनी में रोका गया कि एकाएक हम पुलिस वालो को देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहा तो कि हिक्मत अमली से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोक लिया गया। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नियाज कुरैशी पुत्र सिद्धिक अहमद निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 44 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो हिला हवाली करने लगा। कडाई से पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे पास देशी 12 बोर तमन्चा है पकडे जाने के डर से भाग रहा था। पकडे गये व्यक्ति नियाज कुरैशी उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद

देशी तमंचा 12 बोर बरामद हुआ तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ मोटरसाइकिल पैशन प्रो न0 UP54K0233 मिली जिसके बारे में पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मेरी है। मोटरसाइकिल के नं को ई-चालान एप से देखा गया तो नियाज कुरैशी के नाम से दिखाया गाड़ी के कागज मांगने पर कोई कागज नहीं दिखा सका उक्त मोटरसाइकिल को 207 एक्ट में सीज किया गया पकडे गये व्यक्ति नियाज कुरैशी उपरोक्त का यह कृत जुर्म धारा 3/25 Arms Act का दण्डनीय अपराध का बोध करते हुए अभियुक्त को आज दिनांक 06.01.2026 समय करीब 00.50 AM पर गिरफ्तार करते हुए पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त के गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 003/2026 धारा 3/25 आयूध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

2. नियाज कुरैशी पुत्र सिद्धिक अहमद निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 44 वर्ष

पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग

2. मु0अ0सं0 003/26 धारा 3/25 आयूध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी विवरण

2. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

8. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह

9. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता

10. हे0का0 विमलेश सिंह

11. का0 दिनेश कुमार यादव

12. का0 राकेश सिंह

13. का0 अनिल चौधरी

14. का0 अवनीश कुमार

दुष्कर्म मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के रोकथाम जुर्म जरायम व गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.01.2026 को करीब 11.40 बजे मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ग्राम ताजपुर बलुआ से एक नफर अभियुक्त नीरज पुत्र लालजी नि0 ताजपुर बलुआ थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/25 धारा 137(2),87,65(1) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना रामपुर जनपद-मऊ मे वांछित अपराधी था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नीरज पुत्र लालजी नि0 ताजपुर बलुआ थाना रामपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अरविन्द त्रिपाठी थाना रामपुर, मऊ।
2. हे0का0 महेन्द्र यादव थाना रामपुर, मऊ।
3. का0 अंश कुमार सिंह थाना रामपुर, मऊ।

आपराधिक इतिहास-

1. पंजीकृत मु0अ0स0 141/25 धारा 137(2),87,65(1) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एकट थाना रामपुर जनपद-मऊ

दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घासी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक कोपागंज के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.01.2026 को देखभाल व क्षेत्र के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काझीकला अंडर पास से अभियुक्तगण 1. सुधाकर यादव पुत्र जीउत यादव निवासी बनियापार थाना घोसी जनपद मऊ जनपद मऊ उम्र करीब 36 वर्ष 2. पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी हसनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व एक अदद मोटरसाइकल चोरी की जिसपर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ को बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 09/2026 धारा 2(30),317(2),317(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एकट पंजीकृत किया गया। थाना हाजा से आवश्यक कार्यवाही कर अभियान 1. सुधाकर यादव यादव पुत्र जीउत यादव निवासी बनियापार थाना घोसी जनपद मऊ जनपद मऊ उम्र करीब 36 वर्ष 2. पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी हसनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष को मय बरामदशुदा माल के मात्र न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुधाकर यादव यादव पुत्र जीउत यादव निवासी बनियापार थाना घोसी जनपद मऊ जनपद मऊ उम्र करीब 36 वर्ष
2. पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी हसनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

➤ गिरफ्तारी का स्थान:-

काझीकला अंडर पास के नीचे थाना कोपागंज जनपद मऊ

दिनांक-05.01.26 समय 23.59 बजे

➤ बरामदशुदा माल का विवरण:-

एक अदद मो0सा0 चोरी की जिसपर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ है तथा एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व दो अदद मोबाइल

➤ आपराधिक इतिहास:-

सुधाकर यादव यादव पुत्र जीउत यादव निवासी बनियापार थाना घोसी जनपद मऊ जनपद मऊ उम्र करीब 36 वर्ष

1. मु0अ0सं0 25/2023 धारा 238, 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 413/24 धारा 406 भादवि थाना बाँसडीह जनपद बलिया
3. मु0अ0सं0 196/18 धारा 323/336/308/427/504/506/507 भादवि थाना कोपागंज मऊ
4. मु0अ0सं0-421/25 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीर नगर
5. मु0अ0सं0 300/22 धारा 120-B, 420, 473 भादवि थाना बरहज जनपद देवरिया
6. मु0अ0सं0 550/25 धारा 316(3) बीएनएस थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 70/22 धारा 323,419,420,506 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 283/2025 धारा 316(2), 351(2) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 005/26 धारा 316(2),352, 351(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ
10. मु0अ0सं0 011/26 धारा 316(2),352, 351(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
11. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 2(30),317(2),317(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आम्स एक्ट

पंकज यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी हसनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0-242/20 धारा 147/148/323/336 भा0द0वि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0-377/25 धारा 316(2)352,351(2) बीएनएस थाना पनियरा जनपद महराजगंज
3. मु0अ0सं0 281/25 धारा 305 बीएनएस थाना बहलगढ जनपद सोनीपत हरियाणा
4. मु0अ0सं0 005/26 धारा 316(2),352, 351(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 011/26 धारा 316(2),352, 351(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 2(30),317(2),317(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आम्स एक्ट

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. त0नि0 उमाशंकर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. त0नि0 जावेद अख्तर थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. त0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ
4. हे0का0 महेन्द्र कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ
5. हे0का0 राजकुमार पाल थाना कोपागंज जनपद मऊ
6. हे0का0 राजू सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ

7. का० विजय विश्वकर्मा थाना कोपागंज जनपद मऊ
8. का० अभिषेक मिश्रा थाना कोपागंज जनपद मऊ

दो शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से ०१ अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल निर्देशन में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक ०६.०१.२०२६ को देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर डुमराव मोड़ के पास से मु०अ०स० १२/२६ धारा ३०३(२), ३१७(२) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त १. डब्लू खरवार पुत्र सुखारी खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी २. सुनील विश्वकर्मा पुत्र स्व० नाथू विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से चोरी एक अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

- १- डब्लू खरवार पुत्र सुखारी खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
- २- सुनील विश्वकर्मा पुत्र स्व० नाथू विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

- १- मु०अ०स० १२/२६ धारा ३०३(२), ३१७(२) बीएनएस

बरामदगी का विवरण-

- १- ०१ अदद चोरी की मोटरसाइकिल (यूपी ६४ ई ९४४७)